Annexure-II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937
No. 511] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/SHRAVANA 26, 1937

indiacode

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आधार संख्या" से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

(ग) "अभिहित डिपो" से खाद्यान्नों के वितरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, राज्यवार विनिर्दिष्ट डिपो अभिप्रेत है;

(घ) "हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन सहायता प्राप्त खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति या गृहस्थ अभिप्रेत है;

(ङ) "उठाई-धराई" से अंतर-राज्यीय संचलन में अंतर्वलित खाद्यान्नों को लादना और उतारना अभिप्रेत है;

(च) "अंतर-राज्यीय संचलन" से अभिहित डिपो से किसी राज्य के भीतर खाद्यान्नों का संचलन तथा उचित दर दुकानों को उनके द्वार तक इसका परिदान अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया के सभी प्रक्रम सम्मिलित हैं;

(छ) "पॉइंट ऑफ सेल यंत्र" से 'आधार संख्या' या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, कोई अन्य अधिप्रमाण यंत्रों के आधार पर खाद्यान्नों के परिदान के लिए हकदार व्यक्तियों या गृहस्थियों की पहचान के लिए उचित दर दुकानों पर संस्थापित और प्रचालित कोई यंत्र अभिप्रेत है;

(ज) "प्रणाली समाकलक" से राज्य में उचित दर दुकान के लिए पॉइंट ऑफ सेल यंत्र को क्रय करने, लगाने और रख-रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(झ) "टाइड ओवर आबंटन" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आबंटन के अतिरिक्त खाद्यान्न, यदि कोई हो, किया जाने वाला आबंटन अभिप्रेत है;

(ञ) उन पदों और अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **खाद्यान्नों के आबंटन के लिए समयसीमा** - केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार खाद्यान्नों के आबंटन और उचित दर दुकानों तक इसके परिदान के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश में उपबंधित समयसीमा का पालन करेगी।

4. **केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य** - केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करेगी और अभिहित डिपो तक उसके संचलन के लिए व्यवस्था करेगी।

5. **राज्य सरकारों के कर्तव्य** - राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का अभिहित डिपो से परिदान प्राप्त करे, अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से इसका परिदान उचित दर दुकानों के द्वार तक सुनिश्चित करे और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए उसका प्रदाय सुनिश्चित करे।

6. **केन्द्रीय सरकार से सहायता** - (1) केन्द्रीय सरकार, हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए आबंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(2) 'टाइड ओवर आबंटन' के संबंध में ऐसी कोई सहायता संदेय नहीं होगी।

7. **केन्द्रीय सहायता के सन्नियम और पैटर्न** – (1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के सन्नियम (रुपए प्रति क्विंटल में) और केन्द्रीय सरकार का अंश (प्रतिशत में) निम्नलिखित तक सीमित होगा:

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग	व्यय के सन्नियम (दर रुपए प्रति क्विंटल)			केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)
	अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई	उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन		
		मूल	पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन	
सामान्य	65	70	17	50
विशेष	100	143	17	75

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए-

(1) "सामान्य प्रवर्ग के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:

(i) आंध्र प्रदेश;

(ii) बिहार;

(iii) छत्तीसगढ़;

(iv) गोवा;

(v) गुजरात;

(vi) हरियाणा;

(vii) झारखंड;

(viii) कर्नाटक;

(ix) केरल;

(x) मध्य प्रदेश;

(xi) महाराष्ट्र;

(xii) ओडिशा;

(xiii) पंजाब;

(xiv) राजस्थान;

(xv) तमिलनाडु;

(xvi) तेलंगाना;

(xvii) उत्तर प्रदेश;

(xviii) पश्चिम बंगाल;

(xix) चंडीगढ़;

(xx) दादर और नगर हवेली;

(xxi) दमण और दीव;

(xxii) दिल्ली; और

(xxiii) पुडुचेरी।

(2) "विशेष प्रवर्ग के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) अरुणाचल प्रदेश;

(ii) असम;

(iii) हिमाचल प्रदेश;

(iv) जम्मू और कश्मीर;

(v) मणिपुर;

(vi) मेघालय;

(vii) मिजोरम;

(viii) नागालैंड;

(ix) सिक्किम;

(x) त्रिपुरा;

(xi) उत्तराखंड;

(xii) अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह; और

(xiii) लक्षद्वीप।

(2) उपनियम (1) में उपबंधित अतिरिक्त मार्जिन पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के क्रय, प्रचालन, रख-रखाव की लागत, यंत्र के उपयोग के लिए परिचालन के खर्चों और प्रोत्साहन के लिए है।

(3) अतिरिक्त मार्जिन उन उचित दर दुकानों के लिए संदाय होगा जिसने पॉइंट ऑफ सेल यंत्र संस्थापित किया है और यह मार्जिन यंत्र के माध्यम से किए गए संव्यवहार तक सीमित होगा।

(4) अतिरिक्त मार्जिन राज्य सरकार से दस्तावेजों द्वारा समर्थित एक प्रमाणपत्र के आधार पर, जिनमें निम्नलिखित उपदर्शित होंगे, जारी किया जायगा अर्थात्:-

(क) उचित दर दुकानों की संख्या जिन पर पॉइंट ऑफ सेल यंत्र संस्थापित हैं और क्रियाशील हैं; और

(ख) पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से किए गए सभी संव्यवहारों के ब्यौरे।

(5) राज्य सरकार, पॉइंट ऑफ सेल यंत्रों के माध्यम से किए गए सभी संव्यवहारों के ब्यौरे पब्लिक डोमेन में रखेगी।

IndiaCode

(6) राज्य सरकार को पॉइंट ऑफ सेल यंत्रों के संस्थापन के लिए निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसी एक प्रतिमान का चयन करने की नम्यता होगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार, पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव कर सकेगी;

(ख) राज्य सरकार, पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव करने के लिए एक प्रणाली समाकलक का चयन कर सकेगी;

(ग) उचित दर दुकान का डीलर पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव कर सकेगा।

(7) चुने गए प्रतिमान पर निर्भर करते हुए, राज्य सरकार विभिन्न पणधारियों के मध्य पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन का प्रभाजन करने के लिए, आधार अवधारित करेगी।

(8) राज्य सरकार को दुकानों की अवस्थिति और दुकानों से संबद्ध राशन कार्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के भीतर, अंतरीय मार्जिन को अनुज्ञात करने की नम्यता होगी:

परंतु केन्द्रीय सहायता नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों या संपूर्ण राज्य के लिए वास्तविक औसत दर, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से व्यय उपगत किया गया था, जो भी निम्नतर हो, तक सीमित होगी।

(9) खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों या संपूर्ण राज्य के लिए उन वास्तविक औसत दरों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय उपगत किया गया था, जो भी निम्नतर हो, तक सीमित होगी।

8. **उचित दर दुकान के डीलरों को मार्जिन का अग्रिम संदाय** - (1) राज्य सरकार, उचित दर दुकान के डीलरों को मार्जिन का अग्रिम संदाय उनके द्वारा संदत्त खाद्यान्नों के मूल्यों में मार्जिन के समायोजन के द्वारा या अन्य समुचित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करेगी।

(2) यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकान के डीलरों द्वारा संदेय खाद्यान्नों का मूल्य उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन से कम है, तो राज्य सरकार उचित दर दुकान के डीलरों को, पूर्ण रूप में, मार्जिन का पूर्व संदाय सुनिश्चित करेगी।

9. **केन्द्रीय सहायता की प्रभावी तारीख** - राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता अधिनियम के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन की तारीख से प्रभावी होगी और केवल हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए आबंटन के लिए होगी।

10. **केन्द्रीय सहायता का जारी किया जाना** - (1) अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में, हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए खाद्यान्नों के प्राक्कलित वार्षिक आबंटन तथा नियम 7 के उप-नियम (1) में यथावर्णित व्ययों के सन्नियम और केन्द्रीय अंश के आधार पर आकलित व्यय के केन्द्रीय अंश का पचहत्तर प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार के लिए अग्रिम रूप में जारी किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सहायता का बकाया पच्चीस प्रतिशत आगामी वित्तीय वर्ष में जारी किया जाएगा।

(3) कुल वार्षिक केन्द्रीय सहायता की स्वीकार्यता और इसकी रकम निम्नलिखित आधार पर प्राक्कलित होगी,-

(क) अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से वितरित खाद्यान्नों की मात्रा;

(ख) वास्तविक प्रति क्विंटल दरें जिन पर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर जो व्यय किया गया या नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्ययों के सन्नियम, इसमें से जो भी निम्नतर हो; और

(ग) नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अंश के सन्नियम।

(4) पहली किस्त के जारी किए जाने के पश्चात, यदि कोई रकम देय है, तो वह दूसरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

(5) पहली किस्त में अधिक रकम के जारी किए जाने की दशा में पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए देय केन्द्रीय सहायता उसके प्रति समायोजित की जाएगी।

(6) राज्य सरकार, दूसरी किस्त जारी किए जाने के लिए इन नियमों के अनुसूची (1) और अनुसूची (2) में विहित प्रोफार्मा में जानकारी देगी।

(7) पश्चातवर्ती वर्षों में, केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के आधार पर संगणित की जाएगी,-

(क) राज्य को हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए खाद्यान्नों का प्राक्कलित वार्षिक आबंटन;

(ख) वास्तविक प्रति क्विंटल दरें जिन पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के डीलरों को पृथक्तः संदत्त

मार्जिन पर जो व्यय किया गया था या नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्ययों के सन्नियम, इसमें से जो भी निम्नतर हो; और

(ग) नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अंश के सन्नियम।

(8) उपनियम (7) के अधीन प्राक्कलित केन्द्रीय सहायता का पचहतर प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पहली किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

(9) केन्द्रीय सहायता का बकाया पच्चीस प्रतिशत उपनियम (3), उपनियम (4), उपनियम (5) और उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये आगामी वित्तीय वर्ष में दूसरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

11. **पूर्ववर्ती वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी किया जाना** - राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां इन नियमों के प्रवृत्त होने के पहले के वर्षों में अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका था, पूर्ववर्ती वर्षों के लिए देय केन्द्रीय सहायता का जारी किया जाना, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन नियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विहित प्रोफार्मा में दी गई जानकारी के आधार पर होगा।

12. **उपयोगिता प्रमाणपत्र** - राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सामान्य वित्तीय नियम, 2005 में यथा उपबंधित विहित प्रोफार्मा में उपयोगिता प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

[सं.15-34/2014-एनएफएसए]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

अनुसूची -1

प्रोफार्मा

(नियम 10 का उप-नियम (6) और नियम 11 देखें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम.....

विभाग.....

खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर केन्द्रीय सहायता की दूसरी/अंतिम किस्त जारी करने के लिए दावा

बिल सं.....

तारीख.....

..... वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण दर्शित करने वाली, खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर उपगत होने वाले व्यय की विवरणी

खाद्यान्न	खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)		राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई धराई पर वास्तविक व्यय		अनुमोदित सन्नियम के अनुसार खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर व्यय (रुपए लाख में)	केन्द्रीय सहायता	
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आबंटित	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वितरित वास्तविक मात्रा	दर (रुपए प्रति क्विंटल में)	उपगत कुल व्यय (रुपए लाख में)		प्रतिशत*	कुल देय [स्तंभ (7) में दिया गया प्रतिशत स्तंभ (5) और (6) में से जो भी निम्न हो, पर लागू होगी] (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं							
चावल							

3518 GI/15-2

मोटा खाद्यान्न							
कुल							
घटाएं : वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम केन्द्रीय सहायता (रुपए लाख में)							
भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम (रुपए लाख में)							

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(1) उपर्युक्त जानकारी सही है।

(2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए आवंटन से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की वास्तविक मात्रा के लिए दावा किया गया है।

(3) दावा खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर है ।

(4) दावा पूर्वतर नहीं किया गया है ।

(5) उपर्युक्त प्रोफ़ार्मा के माध्यम से दावा की जा रही रकम का दावा, विचाराधीन संबंधित वस्तु के लिए संगत विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा उपापन के प्रासंगिक लागत पत्र को अंतिम रूप देते समय उपापन के प्रासंगिक/आर्थिक लागत के भाग के रूप में, भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम से नहीं किया गया है/नहीं किया जाएगा।

वित्तीय प्रधान
(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव/सचिव

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

टिप्पण – प्रमाणपत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यान्न के वितरण के लिए संबद्ध विभाग के वित्तीय प्रधान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के या उक्त विभाग द्वारा सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभिकरण जो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

*नियम 7 के उपनियम (1) में यथाविहित केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित सत्रियम और प्रतिशतता।

अनुसूची -2

प्रोफ़ार्मा

(नियम 10 का उप-नियम (6) और नियम 11 देखें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम.....

विभाग.....

उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन में केन्द्रीय सहायता की दूसरी/अंतिम किस्त जारी किए जाने के लिए दावा

बिल सं.....

तारीख.....

IndiaCode

(क) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण दर्शित करने वाली और उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर उपगत होने वाले व्यय की विवरणी

खाद्यान्न	खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)		राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर वास्तविक व्यय		अनुमोदित सक्रियम के अनुसार उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर व्यय	केन्द्रीय सहायता	
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आबंटित	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वितरित वास्तविक मात्रा	दर (रुपए प्रति क्विंटल में)	उपगत कुल व्यय (रुपए लाख में)		प्रतिशत*	कुल देय [स्तंभ (7) में दिया गया प्रतिशत स्तंभ (5) और (6) में से जो भी निम्न हो, पर लागू होगी] (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं							
चावल							
मोटा खाद्यान्न							
कुल							
घटाएं : वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम केन्द्रीय सहायता (रुपए लाख में)							
भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम (रुपए लाख में)							

(ख)वर्ष के दौरान पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यान्नों के विक्रय के लिए उचित दर दुकानों के डीलर को संदेय अतिरिक्त मार्जिन को दर्शित करने वाली तालिका

क्रम सं.	मद	सं./ रकम
1	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकानों की कुल संख्या	
2	उचित दर दुकानों की संख्या जहां पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का संस्थापन किया गया है	
3	उचित दर दुकानों की संख्या जहां वर्ष के दौरान पॉइंट ऑफ सेल यंत्र क्रियाशील थे	
4	वर्ष के दौरान पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से वितरित खाद्यान्नों की मात्रा	
5	पॉइंट ऑफ सेल यंत्र प्रयोग करने वाली उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए 17/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से उचित दर दुकानों के डीलरों को संदेय अतिरिक्त मार्जिन की रकम (क्रम सं. 4 पर वर्णित मात्रा के लिए) (रुपए लाखों में)	
6	केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय अतिरिक्त मार्जिन का भाग (उपर्युक्त 5 से अधिक)	
7	वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम केन्द्रीय सहायता (रुपए लाखों में)	
8	भारत सरकार से प्राप्त की जाने वाली शुद्ध रकम (रुपए लाखों में) (6-7)	

(ग) यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

(1) उपर्युक्त जानकारी सही है।

IndiaCode

(2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए आवंटन से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की वास्तविक मात्रा के लिए ही दावा तैयार किया गया है।

(3) दावा उचित दर दुकानों के डीलरों को मार्जिन पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर है।

(4) दावा पूर्वतर नहीं किया गया है।

वित्तीय प्रधान
(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव/सचिव
खाद्य और नागरिक आपूर्ति
(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

टिप्पण – प्रमाणपत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यान्न के वितरण के लिए संबद्ध विभाग के वित्तीय प्रधान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के या उक्त विभाग द्वारा सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभिकरण जो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

*नियम 7 के उपनियम (1) में यथाविहित केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित सन्नियम और प्रतिशतता।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 August, 2015

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 39 read with clause (d) of sub-section (4) of section 22 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— *(1)* The Food Security (Assistance to State Governments) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aadhaar number" means the identification number issued to an individual by the Unique Identification Authority of India;

(b) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(c) "designated depots" means the depots specified from time to time, State-wise, by the Central Government, for the purpose of distribution of foodgrains;

(d) "entitled persons and households" means persons or households identified by the State Government to receive subsidised foodgrains under section 3 of the Act;

(e) "handling" means loading and unloading of foodgrains involved in intra-State movement;

(f) "intra-State movement" means movement of foodgrains within a State from the designated depots and delivering it at the door-step of fair price shops and shall include all stages in this process;

(g) "point of sale device" means a device to be installed and operated at fair price shops for identification of entitled persons and households for delivery of foodgrains, based on 'Aadhaar number' or other authentication tools, specified by the Central Government from time to time;

(h) "system integrator" means an agency engaged by the State Government to purchase, install and maintain the point of sale device at fair price shops in the State;

(i) 'tide over allocation' means foodgrains allocated to a State or Union territory, if any, under second proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act, over and above the allocation for entitled persons and households;

(j) the words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Time limit for allocation of foodgrains.—The Central Government and the State Government shall adhere to the time limits provided in the Public Distribution System (Control) Order, 2015, as amended from

time to time, or any other order issued by the Central Government in this regard, for allocation of foodgrains and delivery upto the fair price shops.

4. Duty of the Central Government.—The Central Government shall allocate foodgrains under Targeted Public Distribution System from Central Pool to the State Governments under the Act and provide for its movement upto designated depots.

5. Duty of the State Governments.—It shall be the duty of the State Government to take delivery of foodgrains under Targeted Public Distribution System from the designated depots, ensure its delivery through their authorised agencies upto the door-step of fair price shops and to ensure its supply to entitled persons and households at prices specified in Schedule I of the Act.

6. Assistance from Central Government.—(1) The Central Government shall assist the State Government to meet the expenditure incurred by it on intra-State movement, handling of foodgrains and margins paid to fair price shop dealers, for distribution of foodgrains allocated for the entitled persons and households.

(2) No such assistance shall be payable in respect of 'tide over allocation'.

7. Norms and pattern of Central assistance.—*(1)* The norms of Central assistance (in ₹ per quintal) to the State Government and Union territory and share of the Central Government (in percentage) shall be limited as under:

Category of States and Union Territories	**Norms of expenditure** (Rate in ₹ per quintal)			**Central share** (in per cent.)
	Intra-State movement and handling	**Fair Price Shop dealers margin**		
		Basic	**Additional margin for sale through point of sale device**	
General	65	70	17	50
Special	100	143	17	75

Explanation- For the purposes of this rule-

(1) "General Category States and Union territories" means the following;

(i) Andhra Pradesh;
(ii) Bihar;
(iii) Chhattisgarh;
(iv) Goa;
(v) Gujarat;
(vi) Haryana;
(vii) Jharkhand:
(viii) Karnataka;
(ix) Kerala;
(x) Madhya Pradesh;
(xi) Maharashtra;
(xii) Odisha;
(xiii) Punjab;
(xiv) Rajasthan;
(xv) Tamil Nadu;
(xvi) Telangana;
(xvii) Uttar Pradesh;
(xviii) West Bengal;
(xix) Chandigarh;
(xx) Dadra and Nagar Haveli;
(xxi) Daman and Diu;
(xxii) Delhi; and
(xxiii) Puducherry.

IndiaCode

(2) "Special Category States and Union Territories" means the following-

(i) Arunachal Pradesh;
(ii) Assam;
(iii) Himachal Pradesh;
(iv) Jammu and Kashmir;
(v) Manipur
(vi) Meghalaya;
(vii) Mizoram;
(viii) Nagaland;
(ix) Sikkim;
(x) Tripura;
(xi) Uttarakhand;
(xii) Andaman and Nicobar Islands; and
(xiii) Lakshadweep.

(2) The additional margin provided in sub-rule (1) is towards the cost of purchase, operation and maintenance of the point of sale device, its running expenses and incentive for its use.

(3) The additional margin shall be payable for the fair price shop which has installed a point of sale device and shall be limited to the transactions made through it.

(4) The additional margin shall be released on the basis of a certificate from the State Government, supported by the documents, indicating the following, namely:-

(a) number of fair price shops at which the point of sale devices have been installed and are functional; and

(b) the details of all transactions using the point of sale devices.

(5) The State Government shall furnish the details of all transactions made through the point of sale devices in public domain.

(6) The State Government shall have the flexibility in choosing any of the following models for the installation of point of sale device, namely:-

(a) the State Government may purchase, install and maintain the point of sale device.

(b) the State Government may select a system integrator to purchase, install and maintain the point of sale device;

(c) the fair price shop dealer may purchase, install and maintain the point of sale device.

(7) The State Government shall determine the basis for apportioning the additional margin for sale through point of sale device among different stakeholders, depending upon the model chosen.

(8) The State Government shall have the flexibility to allow differential margins within the State taking into consideration the location of shops and number of ration cards attached to the shops:

Provided that the Central assistance shall be limited to the rates specified in sub-rule (1) of rule 7 or the actual average rates for the State as a whole, at which the expenditure was actually incurred by the State Government, whichever is lower.

(9) For the expenditure on intra-State movement and handling of foodgrains, Central assistance shall be limited to the rates specified in sub-rule (1) of rule 7 or the actual average rates for the State as a whole at which expenditure was incurred by the State Government, whichever is lower.

8. Advance payment of margins to fair price shop dealers.—*(1)* The State Government shall ensure the payment of fair price shop dealers' margin in advance by way of adjusting the same in prices of foodgrains to be paid by fair price shop dealers, or through other appropriate mechanism.

(2) If the price of foodgrains payable by fair price shop dealers in any State or Union territory is lower than the fair price shop dealers' margin, the State Government shall ensure upfront payment of margin, in full, to fair price shop dealers.

9. Effective date of Central assistance.—The Central assistance to the State Government shall be effective from the date of allocation of foodgrains under the Act and shall be only for allocations made for entitled persons and households.

10. Release of Central assistance.—(1) In the first year of the implementation of the Act, seventy five per cent. of the total Central share of expenditure, calculated on the basis of estimated annual allocation of food grains for the entitled persons and households, the norms of expenditure and Central share as mentioned in sub-rule (1) of rule 7 shall be released to the State Government in advance as first instalment, at the beginning of financial year.

(2) The balance twenty five per cent. of the Central assistance shall be released in the following financial year.

(3) The admissibility of total annual Central assistance and its amount shall be calculated out on the basis of,-

(a) the quantity of food grains actually distributed during the financial year under the Act;

(b) actual per quintal rates at which the expenditure was incurred by the State Government or Union territory on intra-State movement and handling of food grains and margins paid to fair price shop dealers, or the norms of expenditure specified in sub-rule (1) of rule (7), whichever is lower; and

(c) norms of Central share specified in sub-rule (1) of rule 7.

(4) After release of first instalment, if any amount is due, it shall be released as the second instalment.

(5) In case of release of excess amount in the first instalment, the same shall be adjusted against due Central assistance for the subsequent financial year.

(6) For release of second instalment, the State Government shall furnish information in the proformas prescribed at Schedule I and Schedule II to these rules.

(7) In subsequent years, Central assistance shall be calculated on the basis of;

(a) estimated annual allocation of food grains for the entitled persons and households to the State;

(b) the actual per quintal rates at which expenditure was incurred by the State Government or Union territory during the previous year on intra-State transportation and handling of food grains and margin paid to the fair shop dealers separately or the norms of expenditure mentioned in sub-rule (1) of rule 7 whichever is lower; and

(c) norms of Central share specified in sub-rule (1) of rule 7.

(8) Seventy five per cent. of the Central assistance estimated under sub-rule (7), shall be released as first instalment in the beginning of the financial year.

(9) The balance twenty five per cent. Central assistance shall be released as second instalment in the next financial year subject to the conditions specified in sub-rules (3) (4) (5) and (6).

11. Release of Central assistance for previous years.—In States and Union territories where implementation of the Act had started in the year(s) before coming into force of these rules, release of due Central assistance for previous years shall be made on the basis of information to be furnished by the States or Union territories, as the case may be, in the proformas prescribed at Schedule I and Schedule II to these rules.

12. Utilisation certificate.—The State Government and Union territory shall submit utilisation certificate in prescribed proforma to the Central Government, as provided under General Financial Rules, 2005.

[No. 15-34/2014-NFSA]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

3518 GI/15-4

IndiaCode

Schedule-I

PROFORMA

(See sub-rule (6) of rule 10 and rule 11)

Name of the State/UT _____

Department of _____

Claim for release of second/final instalment of Central assistance on intra-State movement and handling of foodgrains

Bill No._____

Date _____

Statement showing distribution of foodgrains through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 and expenditure incurred on intra-State movement and handling of foodgrains during the year _____

Foodgrains	Quantity of Foodgrains (in quintals)		Actual expenditure on intra-State movement and handling of foodgrains by State or Union territory		Expenditure on intra-State movement and handling of foodgrains as per approved norms* (in ₹ in lakhs)	Central assistance	
	Allocated by Department of Food and Public Distribution	Actual quantity distributed by the State or Union territory under National Food Security Act, 2013	Rates (₹ per quintal)	Total expenditure incurred (in ₹in lakhs)		Percentage*	Total due (% in col.7 to be applied to lower of col.5 or 6) (in ₹ in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wheat							
Rice							
Coarsegrains							
Total							
Less: Advance Central assistance received during the year (in ₹ in lakhs)							
Net amount to be received from Government of India (in ₹ in lakhs)							

It is certified that:--

1. The above information is correct.
2. The claim has been prepared only for foodgrains actually distributed through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 out of the allocation made by Department of Food and Public Distribution.
3. The claim is based on the actual expenditure incurred on intra-State movement and handling of foodgrains.
4. The claim has not been preferred earlier.
5. The amount being claimed through above proforma have not been claimed/ shall not be claimed from the Government of India/Food Corporation of India as part of procurement incidental/economic

cost, in the finalisation of procurement incidentals cost sheet by the Government of India for the relevant marketing season for respective commodity under consideration.

Financial Head — Authorised signatory

(Signature with name, date and official seal) — (Signature with name, date and official seal)

Principal Secretary/Secretary

Food and Civil Supplies

(Signature with name, date and official seal)

Note : The certificate may be signed by the Financial Head and the authorized signatory of the department concerned with distribution of foodgrains under National Food Security Act, 2013 or the nominated agency duly authorized by that department to do so.

*Approved norms and percentage of Central assistance as prescribed in sub-rule (1) of rule 7.

Schedule-II

PROFORMA

(See sub-rule (6) of rule 10 and rule 11)

Name of the State/UT_____

Department of _____

Claim for release of second/final instalment of Central assistance for expenditure incurred on margins to fair price shop dealers

Bill No._____

Date _____

(A) Statement showing distribution of foodgrains through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 and expenditure incurred on margins to fair price shop dealers during the year _____

Foodgrains	Foodgrains (in quintals)		Actual expenditure on payment of margins to fair price shop dealers by State or Union territory		Expenditure on margins to fair price shop dealers as per approved norms* (in ₹ in lakhs)	Central assistance	
	Allocated by Department of Food and Public Distribution	Actually distributed by the State or Union Territory under National Food Security Act, 2013	Rates (₹ per quintal)	Total expenditure incurred (in ₹ in lakhs)		Percentage*	Total due (% in col.7 to be applied to lower of col.5 or 6) (in ₹ in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wheat							
Rice							
Coarsegrains							
Total							
Less: Advance Central assistance received during the year (in ₹ in lakhs)							
Net amount to be received from Government of India (in ₹ in lakhs)							

IndiaCode

(B) Table showing additional margin payable to fair price shop dealers for sale of foodgrains under National Food Security Act, 2013 through point of sale device during the year _____

S.No.	Item	No./Amount
1	Total number of fair price shops in the State/UT.	
2	Number of fair price shops where point of sale device has been installed.	
3	Number of fair price shops where point of sale device was functioning during the year.	
4	Quantity of foodgrains distributed through point of sale device during the year.	
5	Amount of additional margin payable to fair price shop dealers @ ₹17 per quintal for distribution of foodgrains through fair price shops using point of sale device (for quantity mentioned at S.No.4). (in ₹ in lakhs)	
6	Share of additional margin payable by Central Government* (out of 5 above)	
7	Advance Central assistance received during the year (in ₹ in lakhs)	
8	Net amount to be received from Government of India (in ₹ in lakhs) (6-7)	

(C) It is certified that:--

1. The above information is correct.
2. The claim has been prepared only for foodgrains actually distributed through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 out of the allocation made by Department of Food and Public Distribution.
3. The claim is based on the actual expenditure incurred on margins paid to fair price shop dealers.
4. The claim has not been preferred earlier.

Financial Head — Authorised signatory

(Signature with name, date and official seal) — (Signature with name, date and official seal)

Principal Secretary/Secretary

Food and Civil Supplies

(Signature with name, date and official seal)

Note: The certificate may be signed by the Financial Head and the authorised signatory of the department concerned with distribution of foodgrains under National Food Security Act, 2013 or the nominated agency duly authorised by that department to do so.

*Approved norms and percentage of Central Assistance as prescribed in sub-rule (1) of rule 7.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.